

21.01.2026 वकिल वद्वीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक  
पृथक-पृथक समय में वकिल मय वादी को अवाजे दिलवाई गई।  
लेकिन वकिल व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा  
वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।  
फावली फैसल सुमार होकर दफ्तरेल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोत्तर,